भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5313

जिसका उत्तर 5 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है।

15 चैत्र, 1945 (शक)

सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री को हटाने के संबंध में निर्णय

5313. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोशल मीडिया पर डाली गई सामग्री को हटाने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए तीन शिकायती अपील पैनलों/समितियों को अधिसूचित करने के उद्देश्य से सूचना और प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन किया है/संशोधन करने का विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है;
(ग) इस संबंध में सिविल सोसायटी और सोशल मीडिया उद्योग के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) सरकार द्वारा गठित उक्त तीन पैनलों/समितियों की संरचना का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया उद्योग के उन लोगों के लिए कोई प्रावधान किया है, जो पैनलों के समक्ष आई विषय-वस्तु अथवा एकाउंटों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से असंतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त पैनलों/समितियों द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित एवं विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने हेतु, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 (" आईटी नियमावली, 2021") तैयार की हैं। इसके अलावा, 28.10.2022 को आईटी नियम, 2021 में अधिसूचित संशोधनों के माध्यम से शिकायत अपील समितियों के लिए प्रावधान किया गया था।

(ख) इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ, डिजिटल नागरिक या नागरिकों को उपयोगकर्ता के नुकसान, गलत सूचना और आपराधिकता के संपर्क में आने की संभावना भी बढ़ गई है। जैसे-जैसे भारत में डिजिटल इको-सिस्टम और कनेक्टेड इंटरनेट यूजर्स का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे उनके सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ-साथ बिग टेक प्लेटफॉर्म की तुलना में पिछले नियम में मौजूद कुछ कमियां और कमियां भी बढ़ रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने आईटी नियमों, 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया है। ये नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं, ताकि समुचित सावधानी का पालन किया जा सके और यह प्रावधान करते हैं कि यदि वे अपेक्षित सावधानी बरतने में विफल रहते हैं तो वे तीसरे पक्ष की जानकारी या उनके द्वारा होस्ट किए गए डेटा या संचार लिंक के

लिए कानून के तहत अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होंगे। इसके अलावा, संशोधित नियमों में शिकायत अपील समिति (समितियों) की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है ताकि उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता द्वारा की गई शिकायतों पर बिचौलियों के शिकायत अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल सके।

(ग) आईटी नियमों, 2021 में संशोधन को जनता से प्रतिक्रिया/टिप्पणियां आमंत्रित करने और नागरिक समाज और सोशल मीडिया उद्योग के सदस्यों सहित हितधारकों के साथ परामर्श करने और उस पर विधिवत विचार करने के बाद अधिसूचित किया गया था।

(घ) केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 27.01.2023 की अधिसूचना एसओ 442 (ई) के माध्यम से तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की है और उनमें सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें उनकी संरचना का विवरण शामिल है। इसकी एक प्रति लिंक https://egazette.nic.in/WriteReadData/2023/243258.pdf पर उपलब्ध है।

(ङ) आईटी नियम, 2021 में ऐसा कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है।

आईटी नियमावली, 2021 शिकायत अपीलीय समिति द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील या संशोधन का प्रावधान नहीं करती है। हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।

****